

न्यायालय: माधुनीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर कैम्प रीवा, म०प्र०.

राज० निगरानी क्र०/ /016

378



Rs 301-

विश्वनाथ यादव तनय रामनाथ यादव निवासी जाडा, तह० हनुमना जिला

रीवा, म०प्र०.

R 5502-II/16

----- आवेदक

बनाम

01- विष्णु प्रसाद तनय रामप्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम विरहा, प्रयागदत्त

तह० हनुमना जिला रीवा, म०प्र०.

02- राधेश्यामननय रामप्रसाद निवासी विरहा प्रयागदत्त तह० हनुमना जिला

रीवा, म०प्र०.

03- स्वामी कार्तिकेय तनय रामशिवोमणि पाण्डेय निवासी विरहा प्रयागदत्त

तह० हनुमना जिला रीवा, म०प्र०.

04- रमेश कुमार तनय कौशल प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम विरहा, प्रयागदत्त

तह० हनुमना जिला रीवा, म०प्र०.

----- अनावेदकगण.

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनु विभागीय  
अधिकारी हनुमना जिला रीवा, म०प्र० प्र०क्र०

71-ए-3/15-16 आदेश दिनांक 20.09.016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०अ० 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

101 यह कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार हनुमना वृत्त खटखरी, के यहाँ भूमि नं० 457/3-क रकबा 7.17ए० स्थित ग्राम गाडा राजस्व निरीक्षक मंडल खटखरी तह० हनुमना जिला रीवा म०प्र० का भूमि का नक्शातरमीम संशोधन आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन तलव किया। राजस्व

*[Handwritten signature]*

विष्णुनाथ

10 महीने प्रतिवर्ष  
प. डा. 11/16

राजस्व म. (सिक्रेट कोर्ट) रीवा


अखिलेश पांडेय  
21.11.2016

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0 / 5502-दो / 2016

जिला-रीवा

विश्वनाथ यादव / विष्णू प्रसाद पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भूनाथ शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 71/ए-3/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	